हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–171004, 20 अगस्त, 2009

संख्या वि0 स0–लैज0–गवरनमैंट बिल/1–32/2009.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक 20 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,
सचिव।

———————

2009 का विधेयक संख्यांक 16

भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

2. **धारा 29 का संशोधन.**––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 29 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि उपधारा (1) और (2) के अधीन जारी अधिसूचना(ओं) में समाविष्ट ऐसी बंजर भूमि, जो राज्य सरकार के वास्तविक लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से "संरक्षित वन" नहीं रहेगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए,–

(i) "वन भूमि" से भूमि का ऐसा भू–भाग अभिप्रेत होगा जिसमें वृक्ष, झाड़ियां, चरागाहों सहित वन सम्पत्ति और वृक्षों के साथ आपस में मिली हुई झाड़ियां, चाहे वे प्राकृतिक रूप से उगी हुई हों या मनुष्य द्वारा वनरोपित हों;

(ii) "बंजर भूमि" से ऐसी कोई भूमि जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है या आवास के लिए निर्जन है, अनुपजाऊ भूमि जिस पर नाम मात्र की वन सम्पत्ति है या कोई वन सम्पत्ति नहीं है; और

(iii) "वास्तविक लोक प्रयोजन" से राज्य के विकास और कृत्यों के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं का सन्निर्माण, जैसे सड़कें, पुल, भवन, बांध, नहरें, हाइडल परियोजनाएं और अन्य ऊर्जा परियोजनाएं तथा उन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और पुनःस्थापन स्कीमें अभिप्रेत होंगी जो सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापों के निष्पादन और कार्यान्वयन सहित ऐसी अवसंरचना प्रसुविधाओं के सन्निर्माण द्वारा प्रभावित हुए हैं।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष 1952 में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अधीन एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके द्वारा अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध, हिमाचल प्रदेश में समस्त बंजर भूमि पर, जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्पत्तिक अधिकार हैं, लागू किए गए थे। तारीख 25–2–1952 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप और वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ से सरकारी बंजर भूमि "संरक्षित वन" की श्रेणी में आ गई है जिसका उपयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और मामले, नामतः टी0 एन0 गोदावर्मन थिरमुलकपाद और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई. आर. 1997 एस.सी.1228), में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत गैर–वन प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप ऐसी सरकारी बंजर भूमि पर राज्य की सड़कों, पुलों, हाइडल परियोजनाओं और बांधों आदि का सन्निर्माण जैसे समस्त विकासात्मक क्रियाकलाप वस्तुतः रूक गए हैं। विकास की गति को जनसाधारण तथा विशेषकर राज्य के लोगों की प्रसुविधा हेतु जारी रखने हेतु इस कठिनाई से पार पाने के लिए सुधारक और प्रभावी कदमों का उठाया जाना वर्तमान परिवेश में आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जे0पी0 नड्डा)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख.....,2009

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को यह घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त करता है कि कोई भी बंजर भूमि, जो राज्य सरकार के वास्तविक लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संरक्षित वन नहीं रहेगी। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

————————

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराः

29.–*संरक्षित वन*:– (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबंध किसी वन भूमि या बंजर भूमि को, जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं है किन्तु जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार है या सम्पूर्ण वन–उपज या उसके किसी भाग को, जिसकी सरकार हकदार है, लागू है।

(2) ऐसी किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि और बंजर भूमि "संरक्षित वन" कहलाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No 16 of 2009

THE INDIAN FOREST (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Forest Act, 1927 (Act No.16 of 1927) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE It enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Indian Forest (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2009.

2. Amendment of section 29.—In section 29 of the Indian Forest Act, 1927, after sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the State Government may, by notification published in the Official Gazette, declare that such waste land comprised in notification (s) issued under sub-sections (1) and (2), which is required for the bonafide public purpose by the State Government, shall cease to be a "protected forest", from the date of publication of such notification in the Official Gazette.

Explanation- For the purpose of this section,—

(i) "forest land" shall mean the tract of land covered with trees, shrubs, vegetation and undergrowth intermingled with trees with pastures, be it of natural growth or man made forestation;

(ii) "waste land" shall mean any land which is unfit for cultivation or habitation desolate, barren land with little or no vegetation thereon; and

(iii) "bonafide public purpose" shall mean construction of infrastructural facilities needed for the growth and functioning of the State such as roads, bridges, buildings, dams, canals, hydel and other power projects, rehabilitation and resettlement schemes for those persons who are affected by construction of such infrastructural facilities including the execution and implementation of socio-economic activities.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the year of 1952, the Government of Himachal Pradesh issued a notification under section 29 of Indian Forest Act, 1927, whereby provisions of Chapter-IV of the Act was made applicable on all waste lands in Himachal Pradesh which are the property of the Government or over which the Government have proprietary rights. In consequence of notification dated 25.2.1952 and with the commencement of Forest (Conservation) Act, 1980, the Government waste lands has become "protected forest" which can not be used for non-forest purpose without the prior approval of the Central Government and in the light of Judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case titled as T.N. Godaverman Thirmulakpad and others vs. Union of India (AIR 1997 SC 1228), as a result of which all the developmental activities of the State vis-a-vis construction of roads, bridges, hydel projects and dams etc., on such Government waste lands have virtually come to a halt. In order to continue the pace of development for the benefit of public in general and people of the State in particular, it has become need of the hour to take corrective and effective steps to overcome this difficulty. Thus, it has been decided to amend section 29 of the Act *ibid* in its application to the State of Himachal Pradesh.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(J. P. NADDA)
Minister-in-charge.

Shimla:

Dated: Shimla-171002, the, 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to issue notification to declare that any waste land which is required for bonafied public purpose by the State Government shall cease to be a 'protected forest' from the date of publication of such notification in the Official Gazette. This delegation is essential and normal in character.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF INDIAN FOREST ACT, 1927 (ACT NO. 16 OF 1927) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDED BILL

Section :

29. Protected Forests.—(1) The State Government may, by notification in the official Gazette declare the provisions of this chapter applicable to any forest land or waste land which is not included in a reserved forest but which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights, or to the whole or any part of the forest produces which the Government is entitled.

(2) The forest land and waste lands comprised in any such notification shall be called a protected forest.